VERNMENT OF INDIA

## lhi Gazet

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

## WEEKLY

सं 48 ] दिल्ली, दिसम्बर 3—दिसम्बर 9, 2010, बृहस्पतिवार/अग्रहायण 12-अग्रहायण 18, 1932 DELHI, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2010, THURSDAY/AGRAHAYANA 12—AGRAHAYANA 18, 1932 [N.C.T.D. No. 217]

> भाग -IV PART-IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसुचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसुचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(335)

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2010

सं. फा. 10 (515)/मु. स.( मुख्या. )/स.शु./6700.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दिवान चन्द इन्टीग्रल हेल्थ सर्विसेज प्रा.लि., 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 14,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 11,60,001 से 13,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,400 (रुपए एक हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

utty Commissioner (Central)

4709 DG/2010

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE **AUTHORITY** 

**ORDERS** 

Delhi, the 6th December, 2010

F. No. 10(515)/COS(HQ)/Cons. Duty/6700,-In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Diwan Chand Integral Health Services Pvt.Ltd., 10-B, K.G. Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,400 (Rs. One Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 14,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 11,60,001 to 13,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (516)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6701.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दिवान चन्द इन्टीग्रल हेल्थ सर्विसेज प्रा.लि., 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(516)/COS(HQ)/Cons. Duty/6701.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Diwan Chand Integral Health Services Pvt.Ltd., 10-B, K.G. Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (517)/मु, स.(मुख्या.)/स,शु./6702.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दिवान चन्द इन्टीग्रल हेल्थ सर्विसेज प्रा.लि., 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 65,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,10,001 से 11,60,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 6,500 (रुपए छ: हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(517)/COS(HQ)/Cons. Duty/6702.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Diwan Chand Integral Health Services Pvt.Ltd., 10-B, K.G. Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,500 (Rs. Six Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 65,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 5,10,001 to 11,60,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2010

सं. फा. 10 (1513)/मु, स.( मुख्या. )/स.शु./6705.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री असीम ग्लोबल लि., 5476, साउथ बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाजार, नई दिल्ली-110006, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 10,85,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या31,23,788 से 62,23,787 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,08,500 (रुपए एक लाख आठ हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 7th December, 2010

F. No. 10(1513)/COS(HQ)/Cons. Duty/6705.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Assem Global Limited, 5476, South Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, New Delhi-110006, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,08,500 (Rs. One Lac Eight Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,85,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 31,23,788 to 62,23,787 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1518)/मृ. स.( मुख्या, )/स.श्./6714.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,57,50,00,000 (रुपए 1,25,00,00,000 बैंकिंग कं. को एवम् रुपए 1,32,50,00,000 नन-बैकिंग कं. को) मूल्य के 750 बोण्ड्स जो कि प्रोमिसरी नोट के रूप में हैं जिनमें से प्रत्येक रुपए 1,00,000 के हैं जिनकी पृथक संख्या 2,01,10,04,870 से 2,01,10,05,619 है और 2,500 बोण्डस जो कि प्रोमिशरी नोट के रूप में है जिनमें से प्रत्येक रुपए 10,00,000 के हैं जिनकी पृथक संख्या 5,50,00,00,001 से 5,50,00,02,500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 15,75,000 (रुपए पन्द्रह लाख पिचत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1518)/COS(HQ)/Cons. Duty/6714.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15,75,000 (Rs. Fifteen Lac Seventy Five Thousand) only on the aggregate value of Rs. 2,57,50,00,000 (Rs. 1,25,00,00,000 to Banking Companies and Rs. 1,32,50,00,000 to non-non Banking Companies) for 750 Bonds in the nature of promissory note of Rs. 1,00,000 each bearing distinctive No. 2011004870 to 2011005619 and 2,500 Bonds in the nature of promissory note or Rs. 10,00;000 each bearing distinctive Nos. 5500000001 to 5500002500 to be issued by the said company.

## दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2010

सं. फा. 10 ( 1083 )/मु. स.( मुख्या. )/स.शु./6739.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स एप्पल एकाडमीक प्रेस प्रा. लि., 4374/4बी, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 500 (रुपए पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

## Delhi, the 8th December, 2010

F. No. 10(1083)/COS(HQ)/Cons. Duty/6739.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Apple Academic Press Private Limited, 4374/4B, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 00001 to 50000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1510)/मृ. स.( मुख्या. )/स.श्./6740.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स दारामेक्स होटल्स एण्ड डब्लपर्स प्रा.लि., 15, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 92,99,200 मुल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 850080 से 855891 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 9,300 (रुपए नौ हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1510)/COS(HQ)/Cons. Duty/6740.--In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Darrameks Hotels & Developers Private Limited, 15, Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,300 (Rs. Nine Thousand Three Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 92,99,200 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 850080 to 855891 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1511)/मु. स.(मुख्या.)/स.शू./6741.--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इन्डिग्राम स्कील एण्ड नॉलेज इनिसियेटिबस प्रा.लि., 23, जमरूदपुर कम्यनिटी सेन्टर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 65,00,000 मुल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 650000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 6,500 (रुपए छ: हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1511)/COS(HQ)/Cons. Duty/6741.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indigram Skill and Knowledge Initiatives Private Limited, 23, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,500 (Rs. Six Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 65,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 01 to 650000 to be issued by the said company.

सं, फा, 10 ( 1517 )/मृ, स.( मुख्या. )/स.शू./6745.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स स्प्रीकिंग ट्री प्रोपर्टीज लि., 10, दिरयागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 5,00,000 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 500 (रुपए पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1517)/COS(HQ)/Cons. Duty/6745.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Speaking Tree Properties Limited, 10, Darya Ganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 00001 to 50000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1520)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./6746.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स क्वालिटी लाइफ इण्टरप्राइज (इण्डिया) प्रा. लि., खसरा नं. 365, सुल्तानपुर गांव, महरौली, गुडगांव रोड, दिल्ली-110030, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 4,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 400000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 40,000 (रुपए चालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1520)/COS(HQ)/Cons. Duty/6746.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Quality Life Enterprise (India) Private Limited, Khasra No. 365, Sultanpur Village, Mehrauli Gurgaon Road, New Delhi-110030, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 40,000 (Rs. Forty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 400000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1512)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./6742.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि., 1201-1207, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,00,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1800000001 से 2000000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 20,00,000 (रुपए बीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1512)/COS(HQ)/Cons. Duty/6742.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Naurang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,00,000 (Rs. Twenty Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,00,00,00,000,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 18000000001 to 20000000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1514)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./6743.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स जिन्दल पोली फिल्मस लि., प्लॉट नं.2, लोकल शॉपिंग कम्पलेक्स, सेक्टर-बी-1, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 23,02,11,380 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 28095881 से 51117018 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,30,212 (रुपए दो लाख तीस हजार दो सौ बारह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1514)/COS(HQ)/Cons. Duty/6743,—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jindal Poly Films Limited, Plot No. 2, Local Shopping Complex, Sector-B-1, Vasant Kunj, New Delhi-110070, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,30,212 (Rs. Two Lac, Thirty Thousand Two Hundred Twelve) only on the aggregate value of shares of Rs. 23,02,11,380 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 28095881 to 51117018 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1516)/मु. स.(मुख्या.)/स.श्./6744.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आम्रपाली जोडिक डब्लपर्स प्रा. लि., 307, तीसरी मंजिल, निपुण टावरस, कम्युनिटी सेन्टर, कडकडडमा, दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 19,91,18,700 मूल्य के क्लास ए इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 1000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,99,119 (रुपए एक लाख निन्यानवे हजार एक सौ उन्नीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से. आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1516)/COS(HO)/Cons. Duty/6744.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Amrapali Zodiac Developers Private Limited, 307, 3rd Floor, Nipun Towers, Community Centre, Karkardomma, Delhi-110092, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,99,119 (Rs. One Lac, Ninety Nine Thouand One Hundred Nineteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 19,91,18,700 for Class A Equity Share certificates with distinctive Nos. 10001 to 1000000 to be issued by the said company.

> By Order of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territroy of Delhi,

R. K. MISRA, Spl. Inspector General (Registration)